# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2025(GCMS 2025/336)**
**(RTI No. 212105469399739 )**

**श्री सुखमंदर सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह निवासी चक 2 डीडी, तहसील घड़साना** जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर – 98096–87800, 99839–31008)

**बनाम**

**तहसीलदार (राजस्व), घड़साना**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**13.10.2025**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखमंदर सिह** स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** श्री सुखमन्दर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. तहसीलदार,घडसाना न्यायालय में निर्णित किस्म मुकदमा वसीयत प्रकरण 24/2011 अनवान अर्पनजीत सिंह वगैरह बनाम सरकार की मूल पत्रावली क्या वर्तमान में तहसील कार्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं?
2. यदि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली तहसील कार्यालय घड़साना में उपलब्ध नहीं है तो इसको तलाश करने हेतु तहसीलदार घड़साना द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा पत्रावली चोरी के संदर्भ में संबंधित कर्मचारी/व्यक्ति के विरूद्ध क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया गया?
3. प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन करने पर तहसीलदार, घड़साना द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व में जारी प्रमाणित प्रति की पुन फोटोप्रति कर, एक नवीन प्रमाणित प्रति प्रार्थी को जारी कर दे दी (संलग्न प्रार्थना पत्र है।) जिसकी गहनता से जांच करने पर प्रार्थी को उक्त कृत्य किया गया है। अतः इस बाबत भी तहसीलदार घड़साना से रिपोर्ट तलब हो कि उनके द्वारा किस प्रावधान के अंतर्गत एक फोटोप्रति को प्रमाणित प्रति जारी कर प्रार्थी को दी गई, जबकि मूल पत्रावली उनके पास नहीं थी। उक्त प्रमाणित प्रति पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि छायाचित्रप्रति का मिलान कर उक्त नकल जारी की गई है। उक्त तथ्य से भी तहसीलदार, घडसाना की भूमिका उक्त प्रकरण में संदिग्धता प्रतीत होती है, जिसके उपरांत प्रार्थी द्वारा मूल पत्रावली के निरीक्षण व नकल हेतु पुनः आवेदन पेश करने पर तहसीलदार, घडसाना द्वारा पत्रावली रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने की सूचना प्रार्थी को दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 66 / 2025
(GCMS No. 2025/336)
(RTI No. : 212105469399739)

| | |
|---|---|
| 4. | तहसीलदार, घड़साना न्यायालय से निर्णित किस्म मुकदमा वसीयत प्रकरण 24 / 2011 अनवान अर्पनजोत सिंह वगैरह बनाम सरकार की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। |

**सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घडसाना** ने अपने पत्रांक सू.का.अ. / 2025 / राजकाज रैफ नं.17968888 दिनांक 24.09.2025 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक सूकाअ / 2025 / 2577 दिनांक 11.09.2025 से अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना ने प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

| क्र. सं. | चाही गई सूचना का विवरण | सूचना का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | तहसीलदार,घडसाना न्यायालय में निर्णित किस्म मुकदमा वसीयत प्रकरण 24 / 2011 अनवान अर्पनजीत सिंह वगैरह बनाम सरकार की मूल पत्रावली क्या वर्तमान में तहसील कार्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं? | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से संबंधित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों कें प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और ना ही स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक की सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश / निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का [illegible] स्वरूपों में उपलब्ध [illegible] तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में [illegible] उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्र[illegible] किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदन[illegible] के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। |
| 2 | यदि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली तहसील कार्यालय घड़साना में उपलब्ध नहीं है तो इसको तलाश करने हेतु तहसीलदार घड़साना द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा पत्रावली चोरी के संदर्भ में संबंधित कर्मचारी / व्यक्ति के विरूद्ध क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया गया? | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 66/2025
(GCMS No. 2025/336)
(RTI No. : 212105469399739)

| | | |
|---|---|---|
| 3 | प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन करने पर तहसीलदार, घड़साना द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व में जारी प्रमाणित प्रति की पुन फोटोप्रति कर एक नवीन प्रमाणित प्रति प्रार्थी को जारी कर दे दी (संलग्न प्रार्थना पत्र है।) जिसकी गहनता से जांच करने पर प्रार्थी को उक्त कृत्य किया गया है। अतः इस बाबत भी तहसीलदार घड़साना से रिपोर्ट तलब हो कि उनके द्वारा किस प्रावधान के अंतर्गत एक फोटो प्रति की प्रमाणित प्रति जारी कर प्रार्थी को दी गई, जबकि मूल पत्रावली उनके कब्जे में नहीं थी। उक्त प्रमाणित प्रति पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि मूल चित्रप्रति का मिलान कर उक्त नकल जारी की गई है। उक्त तथ्य से भी तहसीलदार, घडसाना की भूमिका उक्त प्रकरण मं संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसके उपरांत प्रार्थी द्वारा मूल पत्रावली के निरीक्षण व नकल हेतु पुनः आवेदन पेश करने पर तहसीलदार, घडसाना द्वारा पत्रावली रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने की सूचना प्रार्थी को दी। | आपके द्वारा चाही सूचना का स्पष्ट अंकन/विवरण नहीं होने के कारण अदेय है। अतः चाही गयी सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित कर भिजवाये ताकि सूचना उपलब्ध करवायी जा सके। |
| 4 | तहसीलदार, घड़साना न्यायालय से निर्णित किस्म मुकदमा वसीयत प्रकरण 24/2011 अनवान अर्पनजोत सिंह वगैरह बनाम सरकार की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। | उक्त पत्रावली वर्तमान में कार्यालय में तलाश किये जाने पर प्राप्त नहीं होने/उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती। |

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

**सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना ने अपने पत्रांक अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**अपील सूचना का अधिकार संख्या 66/2025**
(GCMS No. 2025/336)
(RTI No. : 212105469399739)

हो और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (राजस्व), घड़साना** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2025 से सूचना चाही थी, जिसका जवाब सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना ने दिनांक 11.09.2025 को दिया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 30 दिन जवाब दिये जाने का प्रावधान है जो **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।** अतः भविष्य में आप सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रार्थीगण को समय पर सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर